

8830, 9087  
11/3/14 12/3/17



अनुसूची-14 फारम संख्या-562।

# न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत  
सन्दर्भित वाद संख्या- 254 /2013-14

शिवजी साफी एवं 02 अन्य बनाम किशोरी बैठा एवं 22 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे का अनुशीलन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना।</p> <p>विदित होता है कि आवेदकगण (1) शिवजी साफी पिता- स्व0 रामजी शाफी (2) मु0 चुल्हीया देवी पति- स्व0 देवु बैठा एवं (3) पलटू बैठा पिता- स्व0 देबु बैठा ग्राम- पटोर थाना- आनंदपुर जिला- दरभंगा के द्वारा मौजा- शोभनाथपट्टी अन्तर्गत पुराना खाता नं0- 45 खेसरा नं0- 339 नया खाता नं0- 400 नया खेसरा नं0- 607 रकवा 07 कट्टा 07 धुर अर्थात् 30 डी0 भूमि में से वंशावली के अनुसार 30 अंश पर अपने right and title के declaration एवं recovery of position के निमित्त प्रस्तुत वाद दाखिल किया है जो इस न्यायालय के jurisdiction के beyond है।</p> <p>चूंकि आवेदकों के वाद में किए गये दावे के अनुसार पक्षकारों बीच complicated question of title and possession का प्रश्न संश्लिष्ट होना स्पष्ट दृष्टिगोचर है अतएव बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा- 4 (5) के तहत प्रस्तुत कार्रवाई को close किया जाता है तथा पक्षकारों को निदेशित किया जाता है कि अपने दावे के उपचार के निमित्त सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र हैं।</p> <p>लेखापित एव शुद्धित</p> <p> भू0 सु0 उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p>	